प्रपत्र-अ

मान विधायक श्री नीरज विनोद दीक्षित, सदन में उत्तर देने की दिनांक 11.03.2022
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2056

क्र.	पत्र में उल्लेखित कार्य	कार्यवाही विवरण
1	गढीमलहरा में 132 के.व्ही. स्टेशन की आश्यकता है। जिससे आसपास के महाराजपुर, लुगासी, कुर्राहा आदि 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रों की गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हो सकेगी।	वर्तमान में गढीमलहरा महाराजपुर क्षेत्र में विद्युत प्रदाय 220 के.व्ही. छतरपुर से 33 के.व्ही. गढ़ीमलहरा, 132 के.व्ही. नौगांव से 33 के.व्ही. लुगासी फीडर एवं 132 के.व्ही. संजयनगर से 33 के.व्ही. डुमरा फीडर से विद्युत प्रदाय किया जाता है। 220 के.व्ही. अतिउच्चदाब उपकेन्द्र छतरपुर से निर्गमित 33 के.व्ही. गढ़ीमलहरा फीडर की लंबाई 37.5 कि.मी. अधिकतम भार 280 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 16.52 प्रतिशत है। उक्त फीडर का विभक्तिकरण 8 कि.मी. की नई लाईन से (220 के.व्ही. अतिउच्चदाब छतरपुर उपकेन्द्र से 33/11 के.व्ही. हमा उपकेन्द्र तक) , करने पर विद्यमान फीडर की लंबाई 22 कि.मी. , अधिकतम 74.5 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 1.56 प्रतिशत हो जावेगा। 132 के.व्ही. अति उच्चदाब उपकेन्द्र नौगांव से निर्गमित 33 के.व्ही. लुगासी फीडर की लंबाई 27 कि.मी. अधिकतम भार 330 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 14.70 प्रतिशत है। उक्त फीडर का विभक्तिकरण 8 कि.मी. की नई लाईन, 220 के.व्ही. अतिउच्चदाब उपकेन्द्र छतरपुर से 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र हमा तक करने पर विद्यमान फीडर की लंबाई 15 कि.मी. अधिकतम भार 144.8 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 5.18 प्रतिशत तथा नवीन फीडर की लंबाई 20 कि.मी. , अधिकतम भार 250.9 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 4.78 प्रतिशत हो जावेगा। 132 के.व्ही. अति उच्चदाब उपकेन्द्र संजयनगर से निर्गमित 33 के.व्ही. डुमरा फीडर की लंबाई 27 कि.मी. अधिकतम भार 280 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 14.42 प्रतिशत है। उक्त फीडर का विभक्तिकरण 7 कि.मी. की नई लाईन से (132 के.व्ही. अतिउच्चदाब नौगांव उपकेन्द्र से 33/11 के.व्ही. टटम उपकेन्द्र तक) करने पर विद्यमान फीडर की लंबाई 22 कि.मी. , अधिकतम भार 134.8 एम्पीयर एवं वोल्टेज रेग्युलेशन 3.88 प्रतिशत तथा नवीन फीडर की लंबाई 12 कि.मी., अधिकतम भार 244.18 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 4.03 प्रतिशत हो जावेगा। उपरोक्त साध्य पाये गये कार्यो को वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना में स्वीकृत किया गया है। कार्य के पूर्ण होने के उपरांत उक्त क्षेत्र को गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय प्राप्त होगी। अत: वर्तमान में गढ़ीमलहरा में 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया।
2	विद्युत वितरण केंद्र गढीमलहरा से निकलने वाले नुना फीडर की लंबाई अधिक होने के कारण अंतिम छोर के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलने में समस्या हो रही है। अत: नुना फीडर को 9 कि.मी. 11 के.व्ही. लाइन बढ़ाकर दो भागों में बाँटा जाना अत्यावश्यक है ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सकें।	विद्युत वितरण केन्द्र गढ़ीमलहरा अंतर्गत 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र गढ़ीमलहरा से 11 के.व्ही. नुना कृषि एवं 11 के.व्ही. नुना DL फीडर निर्गमित है। नुना कृषि फीडर की लंबाई 53 कि.मी. अधिकतम,भार 160 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 28.93 प्रतिशत है। 11 के.व्ही. नुना DL फीडर की लंबाई 62.33 कि.मी.,अधिकतम भार 240 एम्पीयर तथा वोल्टेज रेग्युलेशन 15.24 प्रतिशत है। उक्त के परिपेक्ष्य में उक्त फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य तकनीकी दृष्टि से साध्य पाया गया है, जिसे आगामी RDSS योजनांतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
3	विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत संयुक्त फीडर को कृषि एवं घरेलू फीडर में बदला जाना आवश्यक है ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय नियमानुसार हो सके।	गढ़ीमलहरा वितरण केन्द्र में कुल 8 नग फीडर है। जिसमें से 7 नग फीडर अलग-अलग कृषि एवं गैर कृषि फीडर है। मात्र एक फीडर गौरारी मिक्स फीडर है, जिसके विभक्तिकरण का कार्य आगामी RDSS योजनांतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
4	विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत 11 के.व्ही. अंतर्गत 11 के.व्ही. AG फीडर कई वर्षो पुराने हैं एवं पोल की दूरी भी अधिक है जिससे तार कमजोर हो रहे है परिणामस्वरूप ट्रिपिंग जैसी समस्या के कारण किसानों को निरूद्ध बिजली आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। अत: विवरण केंद्र से निकलने वाले सभी AG फीडरों का सर्वे करवाकर आवश्यतानुसार पोल व तार को बदला जाना आवश्यक है।	फीडरों के विभक्तिकरण का कार्य तकनीकी दृष्टि से साध्य पाया गया है, जिसे आगामी RDSS योजनांतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

प्रश्न सं. [क्र. 2056]

[11/3/2022]

13. **Indemnifying MPPKVVCL:-**
Contractor shall be wholly responsible for compliance of all Labour Laws, Insurance, EPF, Safety Rules etc. and also submit related Documents. If later on any liability is raised on Company, then it will be deducted from that Contractor"s bills/Security deposit and suitable action may also be taken against him / her. MPPKVVCL should be totally indemnified from all legal and other complications during work execution. Further, any accident occurred during execution of Contract then Contractor is responsible for payment of compensation to labour/ other affected persons.

14. **Mode of Performance Guarantee:-**
For the Performance Guarantee, in case of the successful Contractors (Bidders), a BG/Cash from scheduled commercial bank of Rs 1 Lakh has to be submitted by Contractor to SE of Circle within 28 days of the receipt of notification of award of contract. However if a successful Contractor firm quotes zero or negative percentage, then the BG against Performance Security would be for **Rs.2 Lakhs**. The Performance Bank Guarantee has to be given by Contractor in name of „The SE, MPPKVVCL CHHATARPUR concerned) Circle (i.e. in name of SE of the Circle where the work area falls). Failure of the successful Bidder to submit the above mentioned performance guarantee, security shall constitute sufficient grounds for annulment of the award. In addition to above if the total submitted value of Invoice is more than Rs.10 Lakhs then 10% of the value of Invoice over and above Rs.10 Lakhs will be deducted as Security Deposit. The maximum value of security deposit including performance bank guarantee would be Rs.5 Lakhs (i.e. Rs.1 Lakh as PBG + Rs.4 Lakh deducted from Invoices). In case of successful Bidder quotes zero or negative then the maximum value of security deposit would be Rs.7 Lakhs. **The Performance Bank Guarantee should be valid for 24 months and will be extended till completion of Defect Liability period of last work order.**

15. **Period of Contract:-**
The contract will be placed for a period of **12 months** from date of issue of RCA Contract.

16. **Dispute :-**
Any dispute or difference, arising under, out of, or in connection with this tender/contract order shall be resolved in following hierarchy:-

(a) Dispute Board Level-I (DB-I) comprising of concerned SE(O&M) CHHATARPUR, EE(STM) CHHATARPUR and EE(O&M) CHHATARPUR. The contractors has to submit the dispute in writing to Dispute Board and after hearing the dispute the DB-I has to issue decision within 15 days from the date of receipt of dispute in writing.
(b) Dispute Board Level-II (DB-II) comprising of Regional Chief Engineer, concerned SE(O&M) CHHATARPUR and SE O/o Regional CEs (SR). In case the dispute has not been resolved by Dispute Board Level-I. The contractors has to submit the dispute in writing to Dispute Board and after hearing the dispute the DB-II has to issue decision within 15 days from the date of receipt of dispute in writing.
(c) In case of dispute has not been resolved in DB-I and DB-II them arbitration proceeding shall be conducted under Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam 1983 (MP Act No.XXIX of 1983 (12th Oct, 1983).

17. **Force majeure:-**
Force majeure condition is herein defined as:-
(a) Natural phenomena, such as floods, draught, earth-quake and epidemics.
(b) Act of any Government Authority, domestic or foreign, such as war, quarantines, embargoes, licensing control or production or distribution restrictions.

सत्य प्रतिलिपि

महाप्रबंधक (कार्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

अनुभाग अधिकारी